न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री सुशील कुमार सैनी (आर॰ए॰एस॰)

जीसीएमएस नं. 2024/458
मुकदमा नम्बर 166/2024 **दर्ज दिनांक– 16.10.2024**

मोहम्मद कासम अली पुत्र याकूब जाति कसाई निवासी ग्राम दुर्जनपुरा,तहसील नवलगढ जिला झुझुंनू
–आवेदक

बनाम

1. इकबाल पुत्र याकूब जाति कसाई निवासी ग्राम दुर्जनपुरा,तहसील नवलगढ जिला झुझुंनू
2. जाविद पुत्र याकूब जाति कसाई निवासी ग्राम दुर्जनपुरा,तहसील नवलगढ जिला झुझुंनू
3. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार नवलगढ़

–अनावेदक

वकील आवेदक : – श्री आन्नदीलाल सैनी
वकील अनावेदक :– पैरा. राज.

<u>प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट</u>

:: आदेश :: **निर्णय दिनांक 10.09.2025**

प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अ0धा0 136 एल.आर. एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि, ग्राम दुर्जनपुरा की सरहद में आराजी खसरा नं. 277 रकबा 0.05 है0,खसरा नं. 278 रकबा 0.02 है0, खसरा नं. 279 रकबा 2.11 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 2.18 है0 में कासम पुत्र हाजी के स्थान पर मोहम्मद कासम अली पुत्र याकुब दर्ज किया जावे।

प्रा. पत्र पेश होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी अनावेदक कि जारी की गई। अनावेदकगण सं. 1 व 2 ने उपस्थित हो इकबालिया जवाब पेश किया। अनावेदक सं. 3 की और से जरिये पैरो. राज. उपस्थित हो किसी प्रकार उजर एतराज जाहिर नही किया।

बहस प्रा. पत्र पेश होने पर बगौर सुनी गई।

लिहाजा आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र के समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र तथा प्रस्तुत दस्तजावेजों की छाया प्रति के आधार पर पोषणीय व न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व ग्राम दुर्जनपुरा की सरहद में आराजी खसरा नं. 277 रकबा 0.05 है0,खसरा नं. 278 रकबा 0.02 है0, खसरा नं. 279 रकबा 2.11 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 2.18 है0 में कासम पुत्र हाजी के स्थान पर मोहम्मद कासम अली पुत्र याकुब दुरूस्त कर दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

तहसीलदार नवलगढ राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती तथा आवश्यक अमलदरामद करे। तहसीलदार नवलगढ़ को पृथक से तहरीर जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय/आदेश आज दिनांक 10.09.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार सैनी)RAS
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
जिला–झुझुंनू